भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-371

उत्तर देने की तारीख-03/12/2025

सिक्किम में पंजीकृत विश्वविद्यालयों का कार्यकरण

371 **श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिक्किम में पंजीकृत बहुत से विश्वविद्यालयों की मान्यता, गुणवत्ता मानकों और कार्यकरण के संबंध में कोई जांच या नियामक कार्रवाई की है;
(ख) क्या सरकार ऐसे विश्वविद्यालयों की मान्यता की स्थिति का सत्यापन और सार्वजनिक प्रकटीकरण, यूजीसी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई, प्रभावित छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना सहित इन संस्थानों में नामांकित छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने का विचार रखती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुपालन करने वाले संस्थानों द्वारा जारी की गई डिग्रियां देश भर में पूर्ण रूप से मान्य हों; और
(ग) सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में उच्चतर शिक्षा पंजीकरण प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (ग): विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पोर्टल https://ugc.gov.in > HEIs पर उपलब्ध है। यूजीसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 26 नवंबर, 2025 तक सिक्किम राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय (सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम), 2 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और 23 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं, जो संसद के केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित होते हैं और उन अधिनियमों के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाई गई संविधियों/अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं।

राज्य विश्वविद्यालय राज्य अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, 2003 द्वारा विनियमित किया जाता है।

शिक्षा समवर्ती सूची में है और भारत में शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कार्य करती हैं। सिक्किम में स्थापित 23 राज्य निजी विश्वविद्यालयों में से, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत 04 विश्वविद्यालयों का निरीक्षण यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया है। शेष विश्वविद्यालयों से यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत निरीक्षण के उद्देश्य हेतु अपनी जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

वर्ष 2015 में, ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट (ईआईआईएलएम), जोरेथांग, सिक्किम, जो एक राज्य निजी विश्वविद्यालय था, को सिक्किम राज्य सरकार द्वारा भंग/बंद कर दिया गया था और इसकी सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूजीसी को दी गई थी। इसके फलस्वरूप, यूजीसी ने अगस्त 2015 में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें विद्यार्थियों को सावधान किया गया कि वे जोरथांग, सिक्किम स्थित ईआईआईएलएम विश्वविद्यालय तथा इसके किसी भी केंद्र/परिसर/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश न लें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा पारदर्शी स्व-प्रकटीकरण पर बल देती है। एचईआई द्वारा सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, वास्तव में, एनईपी के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। एनईपी यह मानती है कि सभी संबंधित अभिलेखों के पारदर्शी स्व-प्रकटीकरण के माध्यम से एचईआई हितधारकों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होंगे। सार्वजनिक डोमेन में जानकारी की उपलब्धता जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

तदनुसार, यूजीसी ने "उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण संबंधी दिशानिर्देश, 2024" तैयार और अधिसूचित किया है और सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को

दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया है ताकि एक निष्पक्ष और पारदर्शी उच्चतर शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है/को निदेश दिया जाता है कि वे सभी प्रासंगिक जानकारी, जैसे कि उच्चतर शिक्षा संस्थान की मान्यता/प्रत्यायन की स्थिति, प्रदत्त कार्यक्रम, संकाय विवरण, शैक्षणिक अवसंरचना आदि को संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होमपेज पर एक एकल दस्तावेज के रूप में प्रदर्शित करें ताकि जानकारी हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तंत्र तैयार करने के उद्देश्य से, यूजीसी ने "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023" तैयार और अधिसूचित किया है। इन विनियमों में सभी एचईआई द्वारा छात्र शिकायत निवारण समितियों (एसजीआरसी) की स्थापना और विश्वविद्यालय स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है।

गुणवत्ता मानकों को लागू करने के उपाय के रूप में, यूजीसी ने यह निगरानी करने के लिए एक स्थायी समिति का भी गठन किया कि क्या विश्वविद्यालय प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और यूजीसी विनियमों के अनुसार पीएचडी डिग्री प्रदान कर रहे हैं। इस स्थायी समिति का कार्यदायित्व सुधारात्मक उपाय सुझाना और गलती करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना है।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विभिन्न हितधारकों से प्राप्त जानकारी/शिकायतों के आधार पर, विगत 5 वर्षों का पीएचडी डिग्री प्रदान करने से संबंधित आंकड़े सिक्किम राज्य के 9 विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों से नमूना आधार पर मांगे गए थे। विश्वविद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, समिति ने विश्वविद्यालयों के संबंधित अधिकारियों को कुछ सुधारात्मक उपाय सुझाए और यह सुनिश्चित किया कि उनका अनुपालन किया जाए।

*****